



मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक सितम्बर, 2016

क्रमांक: एफ 4-45/2016/2-55 :: राज्य शासन एतद्वारा प्रदेश में मल्टी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु "मध्यप्रदेश हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट पालिसी, 2012" की मूल अवधारणा को यथावत रखते हुए "मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन योजना, 2016" चिकित्सा शिक्षा विभाग में अंगीकार करते हुए लागू की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शर्मिला ठाकुर)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 09 सितम्बर, 2016

पृ.क्रमांक एफ 4-45/2016/2-55
प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (ऑडिट) 1-2, मध्यप्रदेश ग्वालियर
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
3. प्रमुख सचिव, (समन्वय), मुख्य सचिव, कार्यालय मंत्रालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल
5. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्रीजी (स्वतंत्र प्रभार), चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल
6. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, सतपुड़ा भवन भोपाल, मध्यप्रदेश
7. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल, मध्यप्रदेश
8. संभागीय आयुक्त संभाग भोपाल/ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर/रीवा/सागर, मध्यप्रदेश
9. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
10. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर/रीवा/सागर, मध्यप्रदेश
11. प्राचार्य, दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर मध्यप्रदेश
12. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक संबद्ध चिकित्सालय, भोपाल/ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर/रीवा/सागर, मध्यप्रदेश
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
13. आर्डर बुक

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

क्र. 2036
दिनांक 16/9/16
जावक दिनांक 16/9/16

क्र. 575 (राकेश मुशी) / निज स्था. /
दिनांक 16.9.2016

जो (निदेश)

16.9